कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 35 / 2023

श्री अनिल गुप्ता एडवोकेट, पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल गुप्ता पता–61 विमल कुंज, पुष्प वाटिका कॉलोनी के पास, भरतपुर जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार,भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.7.2023**

अपीलार्थी श्री अनिल गुप्ता एडवोकेट, पुत्र स्व0 श्री मोतीलाल गुप्ता पता–61 विमल कुंज, पुष्प वाटिका कॉलोनी के पास, भरतपुर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 10–04–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 455 दिनांक 7.7.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से जबाब पत्र क्रमांक/एलआर/23/5010 दिनांक 17.7.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 10.4.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से तीन बिन्दूओं पर सूचना चाही गई थी। अपीलान्ट का अपील में कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने अन्दर अवधि सूचना उपलब्ध नही कराई गई है, सूचना दिलाये जाने एवं लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावे। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर ने अपने पत्र जबाब दिनांक 17.07.2023 में कथन किया है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को कार्यालय के पत्रक्रमांक/एलआर/23/4972 दिनांक 14.7.2023 से सूचना उपलब्ध करादी गई है।

........2

अपील/आरटीआई/35 /2023

अनिल गुप्ता बनाम तहसीलदार भरतपुर

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सूचना दी जा चुकी है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो एवं अपीलार्थी को (तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न) कर प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर